

आदेश पत्रक
(देशी अधिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

श्रीमति शोभा साव
पति - दुलारचन्द साव
शा. कुलगो
बनाम
कुंजलाल साव
पिता - नन्दु साव
शा. कुलगो

आदेश पत्रक

जिला - गिरिडीह

संख्या 11/2020-21

देश का प्रकार विविध वाद


दिनांक


पदाधिकारी का आदेश हरताक्षर

दिनांक

17.08.2020

श्रीमति शोभा साव पति - दुलारचन्द साव, साकिन - कुलगो, पोस्ट कुलगो, थाना - डुमरी, जिला - गिरिडीह द्वारा मौजा - कुलगो, थाना नं. 100 खाता नं. 38 प्लॉट नं. 2250 रकवा 05 की भूमि केवाला नं. 3334 दिनांक 29.04.2013 एवं खाता नं. 38 प्लॉट नं. 2250 रकवा 1 1/2 की भूमि केवाला से प्राप्त है जबकि कुंजलाल साव पिता - नन्दु साव, साकिन - कुलगो द्वारा भवरजस्ती मेरी 02 की भूमि धोरने का प्रमाण पत्र रखा है। उक्त भूमि के संबंध कुंजलाल साव पिता नन्दु साव का रजिस्ट्री खाता नं. 38 प्लॉट नं. 2249 रकवा 0 3/4 की एवं प्लॉट नं. 2250 रकवा 1 3/4 की केवाला द्वारा प्राप्त है जबकि NHA1 से 01 की सम्मिलित भूमि अधिग्रहण कर कुंजलाल साव को भुगतान भी मिला। कुंजलाल साव को मात्र 1 1/2 की भूमि बचना चाहिए लेकिन इसी को अधिक भूमि धोरने के लिए तैयार है। दोनों पक्ष में इस भूमि के खन्दन में झगड़े की संभावना है समय पक्षों को नोटिश निर्गत करने ^{द्वारा} दृष्टका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग करे। अगस्त दिनांक 01.09.2020 को रखे।

अस्थापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी
डुमरी


अंचल अधिकारी
डुमरी

01.09.2020

अगस्त उपस्थापित। दृष्टका कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। अगस्त दिनांक को रखे।

न्यायालय अंचल अधिकारी दुमरी (गिरिडीह)


उत्तम भापी से संबंधित शक्रेषा पत्र


प्रतिवेदन उत्तम भापी नं० - 03/2019-20

25/04/19

आवेदक श्री दुलारचन्द्र साव, पिता - स्वे० फुली साव, ग्राम - पोस्ट - कुलबो, ताना - दुमरी, जिला - गिरिडीह द्वारा मौजा - कुलबो खाना नं० - 38, प्लॉट नं० - 2250 रकबा - 23 बी० के मध्ये 05 बी० भूमि को अंचल उत्तम से भापी एवं सीमांकन हेतु आवेदन के साथ केवाला की दाय्यादति समर्पित किया है। परंतु भापी हेतु available आवेदन में आवेदक द्वारा कुल चार प्लॉटों का भापी हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः एका के संबंध में राज्यलव कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की है। अमिलेख दिनांक - 10/6/19 को रखा।
अंशोपस्थित एवं संशोधित।


25/4/19
अ. दु. 316/316
दुमरी


25/4/19
316/316
दुमरी

10/06/19

अमिलेख उपस्थित। संबंधित एका कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा - कुलबो, खाना नं० - 38 प्लॉट नं० - 2250 रकबा -

15 श्री मूमि सर्वे श्रुति खाते को है जो आवेदक
 की पत्नी शोभा साव के नाम से केवासा सं. - 3334 दि.
 21/04/2013 के द्वारा प्राप्त है। पंजी. II के मौलुम नं.-
 19 के पंजी. नं.- 356 में दर्ज है। मूमि की चौदहवीं इस
 प्रकार है:-

चौदहवीं

उ० - प्लॉट सं. - 2273

दो० - सड़क

तु० - हाल अरुण साव

प० - श्री विमला देवी

अतः उक्त मूमि की मापी कराया जा सकता
 है।

राजस्व कर्मचारी एवं इंचल निरीक्षक द्वारा
 की गई अनुसंधान के आलेख में मूमि की मापी हेतु
 आवेदक को online मापी शुल्क जमा करने हेतु
 निर्देशित करें। अमिलेख दिनांक - 30/05/2020 को रखें।
 लेखापित एवं संशोधित।

Amu
 अ० दि० 6/6/19
 हुमरा

Amu
 अ० दि० 6/6/19
 हुमरा

5/2020


अमिलेख उपस्थापित। आवेदक द्वारा मापी शुल्क जमा
 नहीं किया गया है। जिसके कारण अमिलेख की
 अग्रतर कार्रवाई नहीं किया गया। अमिलेख दिनांक -
 13/06/2020 को रखें।
 लेखापित एवं संशोधित

Amu
 अ० दि० 9/6/19
 हुमरा

Amu
 अ० दि० 9/6/19
 हुमरा

6/20

अमिनेख उपस्थापित / आवेदक द्वारा मापी शूल्क जमा नदी किया गया है। अतः मापी शूल्क जमा करने हेतु आवेदक श्री दुनारचन्द साव, पिता - स्व. फुली साव ग्राम + पोस्ट - कुलगी को नोटिस निर्गत करें। वाद दिनांक - 21/12/2020 को रखें।
लेखापित एवं संशोधित।



21/12/20
डा. डा.
हुमरी



डा. डा.
हुमरी

21/12/20

अमिनेख उपस्थापित / आवेदक द्वारा मापी शूल्क online जमा किया गया है। तथा आवेदक द्वारा आवेदन समर्पित करते हुए अनुरोध किया गया है कि मापी हेतु online चार प्लॉट (प्लॉट संख्या - 2251, 2273, 2249 एवं 2250) में से मात्र एक प्लॉट (प्लॉट संख्या - 2250) को मापी कराना है।

अतः आवेदक द्वारा की गई अनुरोध को अलोक में दिनांक - 22/01/2021 को प्लॉट सं - 2250 को मापी हेतु डाचल जमीन को निर्देशित करें। तथा उक्त खाल पर इसमय उपस्थित वीर हेतु चौकदार को नोटिस निर्गत करें। वाद दि - को रखें।
लेखापित एवं संशोधित।


21/12/20
डा. डा.
हुमरी।


डा. डा.
हुमरी।

सेवा में,

अंचल अधिकारी कुमरी (गिरिडीह)

विषय: मौजा कुलगाँ थाना सं. 100 थाना कुमरी खाता सं. 38 प्लॉट सं. 2249 रकबा 12 बी., प्लॉट सं. 2250 रकबा 23 बी., प्लॉट सं. 2251 रकबा 17 बी. एवं प्लॉट सं. 2293 रकबा 26 बी. की माफी संबंधी अतिवृत्त।

तारीख: - थाना दिवान लाइ सं. 09/19-20

महोदय, उपरोक्त विषयक संबंधित थाना दिवसीय आदेशानुसार दिनांक 25/06/2020 को मौजा कुलगाँ थाना सं. 100 थाना कुमरी खाता सं. 38 प्लॉट सं. 2249, 2250, 2251 एवं 2293 रकबा 12 बी., 23 बी., 17 बी. एवं 26 बी. की माफी हेतु स्थल पर पहुँचा। स्थल पर प्रथम पत्र तुलारचंद्र साव पिता तुली साव उपस्थित थे उनके द्वारा सारी दस्तावेज दिए गए केवाला सं. 5130, 5132 एवं 3334 द्वितीय पत्र खनिभागी रैमन के वंशज रामजी सिंह वल्लभ वारुणेश सिंह को अनिल सिंह को अनिल सिंह पिता कालेश्वर सिंह साकीन कुलगाँ को इलाका के द्वारा खचना देने के लिए बावजूद खुद उपस्थित न होकर उनके द्वारा ग्राम के ही उक्त लोगों को स्थल पर भेजा गया उन लोगों का कहना था हम ही रैमन के वंशज हैं। उपरोक्त विवादित भूमि से संबंधित दस्तावेज मागी ग्राम पर उन्होंने नहीं दिखाया नाही माफी में सहयोग करने की बात की। खचना पत्र भी उपस्थित न होना एवं माफी

मापी में सहयोग न करना उनकी संसा प्रती
इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है
इस अर्थ में सिमान्त नहीं ही पाया

अतः प्रमाण की अर्थव्यवस्था
हेतु समाप्त

Ravindra Nath Mendel
27/06/2020
अंश अर्थ